अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 151/23 (CIS NO. 151/23)

मतस्यगंधा अपार्टमेंट वेलफेयर सोसायटी बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पुनश्चर्या :-

रेफरेंस याचिका सं0 151 / 2023

मतस्यगंधा अपार्टमेंट वेलफेयर सोसायटी बनाम जविप्रा व अन्य

दिनांक 14.07.2026

अधिवक्ता रेफरेंसकर्ता श्री गिरधर गोपाल शर्मा उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक सिंह शेखावत उपस्थित। अप्रार्थी सं0 3 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एस. सोलंकी उपस्थित। अप्रार्थी सं0 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार उपस्थित।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा रेफरेंस याचिका के माध्यम से निवेदन किया कि जविप्रा द्वारा विद्याधर नगर सेक्टर–7 में एक भूखण्ड सं0 7 डी, क्षेत्रफल 676 वर्गमीटर अप्रार्थी सं0 3 को ग्रुप हाउसिंग परियोजना हेतु वर्ष 2003 में आवंटित किया गया। प्रार्थी की ओर से हस्तगत रेफरेंस याचिका प्रस्तुत कर निवेदन कर निम्नप्रकार अनुतोष चाहा कि प्रार्थी का रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सं0 1 व 2 को निर्देश दिया जावे कि अप्रार्थी सं0 3 द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्र के विपरीत चतुर्थ तल पर किये गये अवैध निर्माण को तुरंत प्रभाव से ध्वस्त करने की कार्यवाही करे, साथ ही अप्रार्थी सं0 3 द्वारा पार्किंग क्षेत्र में लगाये गये ताले को खुलवाकर / तोडकर प्रार्थी समिति के सदस्यों के उपयोग व उपभोग हेतु पार्किंग क्षेत्र को बहाल कराया जावे। अप्रार्थी सं0 3 को पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी सं0 3 द्वारा चतुर्थ तल पर कय किये गये अवैध फ्लेट पर किसी तृतीय पक्ष के हक सृजित नहीं करे।

जविप्रा की ओर से हस्तगत रेफरेंस याचिका का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि तृतीय तल के ऊपर अतिरिक्त तल का निर्माण तथा पार्किंग में व्यवधान यह तथ्य प्रार्थी सुदृढ एवं दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा स्वयं सिद्व करे। बायलॉज का उल्लंघन करने पर जविप्रा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 151/13 (CIS NO. 151/13)

मत्स्यगंधा आपार्टमेंट बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अप्रार्थी सं0 3 की ओर से हस्तगत रेफरेंस याचिका का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी समिति द्वारा बेसमेंट एवं पार्किंग को लेकर विवाद उत्पन्न किया गया है जबकि संपूर्ण बिल्डिंग पहले से ही निर्मित हो चुकी है, बाद में समिति का गठन हुआ है और सभी फ्लेटधारी निवास कर रहे है। प्रार्थी समिति व उसके पदाधिकारियों, सदस्यसों एवं विकासकर्ता बिडिर्स के मध्य कोई व्यक्तिगत विवाद है तो उसके लिए संबंधित न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए यह रेफरेंस प्रकरण माननीय अधिकरण के समक्ष चलने योग्य नहीं है। मूलतः बेसमेंट का जो निर्माण किया गया है उस पर किसी भी फ्लेटधारी का अथवा प्रार्थी समिति का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं बनता यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि योजना के जारी पट्टे/साईट प्लान में पार्किंग सुविधा ओपन भूमि पर सेटबेक क्षेत्र में छोडी गई जगह पर दर्शा कर स्वीकृत किया गया है, ना कि बेसमेंट पार्किंग के लिए छोडा गया था। उक्त भवन का निर्माण जिसे मतस्यगंधा अपार्टमेंट का नाम दिया गया है, वर्ष 2006–2007 में पूर्ण हो चुका था। इसके बाद किसी तरह का कोई निर्माण नहीं हुआ।

अप्रार्थी सं0 4 की ओर से हस्तगत रेफरेंस याचिका का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अप्रार्थी सं0 4 का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया जाता है।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

यह अधिकरण हस्तगत रेफरेंस याचिका का निम्नप्रकार निस्तारण किया जाना न्यायसंगत समझता है।

अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील/रेफरेंस/विविध प्रार्थना पत्र संख्या 15/23 (CIS NO. 15/23)

मतस्य गंधा अपार्टमेंट बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश

रेफरेंसकर्ता मतस्यगंधा अपार्टमेंट वेलफेयर सोसायटी की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस में यह अधिकरण जविप्रा को यह आदेशित करता है कि वह आदेश की तिथि से 2 माह के मध्य मौके पर उपस्थित होकर भौतिक रूप से निरीक्षण करे तथा यदि अप्रार्थी सं0 3 द्वारा विद्याधर नगर सेक्टर–7 में एक भूखण्ड सं0 7 डी पर किसी भी प्रकार अवैध/अनाधिकृत निर्माण/नियम विरूद्व निर्माण होने पर विधिनुसार प्रभावी कार्यवाही करे। उपरोक्तानुसार रेफरेंस का निस्तारण किया गया।

यह निर्णय आज दिनांक **14.07.2026** को खुले न्यायाधिकरण में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति सचिव जविप्रा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।